सेवा में,

श्री मान् प्रथम अपीलीय प्राधिकार
सतर्कता अनुभाग
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुडगाँव

FD (PAG)
Appellate Auth

श्री विकास मरवाह
मुख्य प्रबंधक (स
एवं लेपनाई

विषय – सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सतर्कता अनुभाग को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्ग 16-10-2017 को ही आवेदन दिया था (छायाप्रति संलग्न)। 44 दिन बीत जाने के बाद भी आवेदक को अभी तक सूचना न उपलब्ध कराई गई है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 20 अन्तर्गत आवेदक को 30 दिनों के अन्दर ही सूचना उपलब्ध होनी चाहिए।

अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि आवेद को यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विश्वास भाजन
कँचन कुमा
29-11-2

संलग्न - यथोपरि

पत्राचार का पता

कँचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो० - मौलखी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ
पिन - 852122
(बिहार)

पावरग्रिड POWERGRID
केन्द्रीय कार्यालय Corporate Centre
30 NOV 2017
प्राप्त किया RECEIVED

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सतर्कता अनुभाग
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुडगाँव

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय नई दिल्ली को पावरग्रिड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में 16-(2016 को ही आवेदन दिया था (छायाप्रति संलग्न)। जिसको कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं० 395 46/201 दिनाँक 19-07-2016 को ही आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को भेजा गया था। जो कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में 01-09 2016 को ही प्राप्त हो गया था। इस आवेदन को मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ एक साल (365 दिन) हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) इस जाँच के लिए कोई [redacted] समय-सीमा निर्धारित होती है, या कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(2) क्या इस जाँच के समय-सीमा के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया स्वतंत्र है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जाँच [illegible] कृपया स्पष्ट सूचना

(5) अगर इस संबंध में जाँच समाप्त (पूरी) हो गई हो तो आवेदन से संबंधित फाइल की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाय।

मैं भारत का नागरिक हूँ। तथा I.P.O. रू० का संलग्न कर भेज रहा हूँ। जिसकी सं०- 42F 002222 है

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो० - नौलखी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ
(बिहार)
पिन - 852122

विश्वास भाजन
कंचन कुमार
16-10-20

सेवा मे.

श्रीमान् केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय,

नई दिल्ली

विषय : पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का उद्यम है। जिसके द्वारा विश्वनाथ चरयाली से आगरा तक ±800 KV HVDC लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमे से पावरग्रिड सब स्टेशन, पुर्णिया (बिहार) द्वारा इस्लामपुर से सहरसा तक 492 टावरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें व्याप्त भारी वित्तीय अनियमियता एवं रिश्वतखोरी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. भू- स्वामित्व का सत्यापन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया गया है, जबकि यह अधिकार सिर्फ राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के पास होता है।

2. भूमि से संबंधित दस्तावेज़ सिर्फ राजस्व विभाग के कार्यालय में होता है, ग्राम पंचायत कार्यालय में भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं होता है।

3. गलत एवं अधिक भुगतान के लिए कार्यस्थल से 4 किमी (चार किमी) दूरी तक के भूमि का विवरण दिखाया गया है।

4. एक ही भूमि के कई भूस्वामी दिखाये गये है।

5. एक ही प्लॉट स० को कई खाता संख्या में दिखाया गया है, जबकि एक प्लॉट एक ही खाता संख्या के अंतर्गत आता है

6. एक ही भूमि पर एक ही व्यक्ति ने, एक साथ भिन्न- भिन्न फसल दिखाकर, भिन्न- भिन्न मुआवजा फार्म भरा है। ऐसा फसल जो उस भूमि पर न हुआ है, न हो सकता है।

7. एक ही व्यक्ति ने अलग- अलग नाम से मुआवजा प्राप्त किया है।

8 एक ही भूमि की भू – स्वामित्व सत्यापन अलग- अलग मुआवजा प्रपत्र पर अलग- अलग ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों से कराया गया है।

आवेदन के साथ उदाहरण के तौर पर सिर्फ दो टावर 386/0 एवं 385/3 से संबंधित भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण (दस्तावेज सहित) संलग्न कर रहे हैं, यदि इसकी सही तरीके से जाँच की जाएगी तो उम्मीद है यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा।

अतः आपसे प्रार्थना है की इस वित्तीय अनियमितता की जांच करने की कृपा करें ।

विश्वास भाजन

कंचन कुमार
16-06-2016

कंचन कुमार

पत्राचार का पता :-

कंचन कुमार

ग्राम- अशोकनगर ,

पो० – नौलखी

भाया – मुरलीगंज, जिला – पुर्णिया

पिन – 852122 (बिहार)

संलग्न :

1. भुगतान की सूची
2. प्रपत्रों की प्रतियाँ

प्रति :

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
2. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
3. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली

उदाहरण के तौर पर दो टावरों 385/3 एवं 386/0 का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. टावर सं० 385/3 का निर्माण खाता सं० 10 एवं खेसरा सं० – 4 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- वनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व स्व० विशेश्वर झा के नाम है।
2. टावर सं० 386/0 का निर्माण खाता सं० 53, खेसरा सं०- 538 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- वनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व श्री शिवेश्वर झा के नाम है।
3. टावर सं० 386/0 के फाउंडेशन के समय खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में दिये गये मुआवजों का विवरण :-

	प्रपत्र सं०	राशि	फसल का नाम	
श्री प्रवेश कुमार झा	478/23809	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्रीमति शीला देवी पति श्री प्रवेश कु झा	478/23811	₹ 40185 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्री मिथिलेश कु झा	478/23807	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्रीमति रेणु कुमारी पति श्री मिथिलेश झा	478/23813	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी
श्री सर्वेश कुमार झा	478/23808	₹ 84000	हल्दी -	एक चेक जारी
श्रीमति डेजी देवी पति सर्वेश झा	478/23812	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त विवरण में तीनों भाइयों ने फसल के रूप में हल्दी दिखा रखा है एव तीनों की पत्नियों ने फसल के रूप में बैगन एवं टमाटर दिखा रखा है जोकि असंभव है।

4. टावर सं० 386/0 का फाउंडेशन, इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग तीनों कार्य खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन अधिक भुगतान के लिए खाता सं० 20 खेसरा सं० 2771, 2772,2776, 2777 एवं 2778 पंचायत – नौलखी, अंचल- बनमनखी, पूर्णिया जोकि टावर सं० 386/0 से चार किमी दूर है, का विवरण दिखाकर मुआवजा दिया गया है। जिसका निम्न विवरण है :-

	खाता सं०	खेसरा सं०	मुआवजा
श्री प्रवेश कुमार झा	20	2772, 2777	₹ 42,168/-
श्रीमति शीला देवी (पति श्री प्रवेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 69,680/-
श्रीमति रेणु देवी (पति श्री मिथिलेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 66,980/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	20	2771, 2772	₹ 70,800/-

*श्री मिथिलेश कुमार झा के उपरोक्त प्रपत्र पर किसी जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी नहीं है।

श्री आकाश भारद्वाज *	20	2778	₹ 45,360/-

छायाप्रति संलग्न

- श्री आकाश भारद्वाज को खाता 20 खेसरा सं० 2778 में फ़ाउंडेशन होने समय क्षति दिखाया गया है, जबकि यह 386/0 से चार किमी दूर है।

श्री सर्वेश कुमार झा	20	2771, 2777, 2776	₹ 52,608/-
श्रीमति अकावरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	20	2771, 2778, 2776	₹ 45,360/-
श्रीमति डेजी देवी (पति श्री सर्वेश झा)	20	2778	₹ 76,201/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2778, 2771, 2776	₹ 67,680/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2771, 2772. 2778	₹ 1,88,203/-

छायाप्रति संलग्न

5. टावर संख्या 386/0 के स्ट्रिंगिंग का भी सारा काम खाता 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन खाता सं० 51 एवं खेसरा सं० 938, 539 दिखाकर भुगतान हुआ है, जबकि खाता सं० 51 में खेसरा सं० 938, 539 नहीं है एवं खाता सं० 051 स्व० विशेश्वर झा का है जो इन दोनों से अलग है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री प्रवेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति रेणु कुमारी (पति श्री मिथिलेश झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति डेजी देवी (पति सर्वेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
शीला देवी (पति प्रवेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री सर्वेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री शिवेश्वर झा	51	938, 539	₹ 14,400/-
श्रीमति अकावरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री आकाश भारद्वाज	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	53	938, 539, 566	₹ 14,400/-

छायाप्रति संलग्न

** श्री मिथिलेश कुमार झा को खाता 53 दिखाकर भुगतान किया गया है जबकि कोई भी खेसरा एक निश्चित ही खाता सं० में आता है।

6. टावर सं० 386/0 के इरेक्शन के समय गलत खाता एवं खेसरा तथा बिना किसी खाता खेसरा का भी भुगतान हुआ है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्रीमति डेजी देवी * (पति सर्वेश कुमार झा)	1176	562, 563	₹ 42,000/-

*. खाता एवं खेसरा दोनों किसी अन्य व्यक्ति का है।

श्री प्रवेश कुमार झा*	-	-	₹ 50,625/-

*. उपरोक्त प्रपत्रों में कोई भी खाता एवं खेसरा नहीं दर्शाया गया है।

छायाप्रति संलग्न

7. टावर सं० 385/3 निर्माण पंचायत – चाँदपुर भंगहा में होने के बावजूद दूसरे पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्यापित किया गया है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सुधारानी देवी (पति श्री ललन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रतन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति वीणा देवी (पति श्री रतन झा)	10	1,2,3,4	₹ 24,840/-
श्री मनोरंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सरोज देवी (पति श्री मनोरंजन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 66,600/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त सारे प्रपत्रों को दूसरे भाग संख्या 04 के पंचायत समिति सदस्य द्वारा सत्यापित कराया गया है। उपरोक्त सारे प्रपत्र 19/02/2015 को जारी हुआ, जिसमें फसल हल्दी दिखाया गया है।

नीचे दिये गए प्रपत्र दिनांक 13/03/2015 को (24 दिन बाद) जारी हुए है, जिसमें फसल अदरक दिखाया गया है जबकि इस इलाके मे न तो हल्दी होता है न ही अदरक।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा*	10	1,2,3,4,16	₹ 60,588/-
श्री नवनीत कुमार	10	1,2,3,4	₹ 24,400/-
श्री रतन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री मनोरंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री रंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-

छायाप्रति संलग्न

*. श्री ललन झा, श्री रतन झा, श्री मनोरंजन झा एवं श्री रंजन झा के प्रपत्र को अन्य पंचायत के **सरपंच** द्वारा सत्यापित किया गया है।

8. टावर सं० 385/3 के लिए कार्यस्थल से लगभग एक किमी दूर की जमीन पर मुआवजा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर कोई क्षति नहीं हुई है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री दीपक कुमार झा	2	40,14	₹ 19,200/-
श्री रतनेश्वर झा	2	40,14	₹ 16,284/-
श्रीमति वीणा देवी (पति श्री रतनेश्वर झा)	2	40,14	₹ 19,200/-
श्रीमति कंचन कुमारी (पति श्री रंजन झा)	2	10,14	₹ 37,488/-
श्रीमति सुधारानी देवी (पति श्री ललन कुमार झा)	2	40,14	₹ 16,908/-
श्री ललन कुमार झा	2	40,14	₹ 16,908/-
श्रीमति स्वाति कुमारी (पिता श्री रंजन मिश्रा)	2	10,14	₹ 30,888/-
श्रीमति सरोज देवी (पति श्री मनोरंजन झा)	2	40,14	₹ 16,908/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त सारे प्रपत्रों की पावरग्रिड द्वारा जारी तिथि 02/04/2015 एवं मुखिया द्वारा सत्यापन की तिथि 24/03/2015 है, जबकि पावरग्रिड द्वारा जारी तिथि पहले होना चाहिए एवं मुखिया द्वारा सत्यापन बाद की तिथि में होना चाहिए था।

श्री रतन कुमार झा एवं श्री रतनेश्वर झा एक ही व्यक्ति है, सिर्फ अधिक भुगतान के लिए दो नाम दिखाया गया है।

9. टावर सं० 386/0 के लिए एक ही खेसरा संख्या को अलग- अलग खाता में बनाकर भुगतान किया गया है, जबकि कोई भी खेसरा संख्या एक निश्चित खाता सं० के अन्तर्गत ही आता है।

	खाता सं०	खेसरा	भुगतान	
श्री मनोरंजन कु झा	51	734, 735	₹ 9,600/-	छायाप्रति संलग्न
श्री ललन कुमार झा	51	734, 735	₹ 9,600/-	
श्री रतनेश्वर झा	51	734, 735	₹ 9,600/-	
श्री रंजन कुमार झा	51	734, 735	₹ 9,600/-	

उपरोक्त प्रपत्रोंकों दूसरे पंचायत के मुखिया से सत्यापित कराया गया है।

श्री मनोरंजन कु झा	52	734, 735	₹ 9,600/-	छायाप्रति संलग्न
श्री ललन कुमार झा	52	734, 735	₹ 9,600/-	
श्री रतनेश्वर झा	52	734, 735	₹ 9,600/-	
श्री रंजन कुमार झा	52	734, 735	₹ 9,600/-	

उपरोक्त प्रपत्रों को दूसरे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के द्वारा सत्यापित कराया गया है।

10. टावर सं० 385/2 के लिए खाता सं० – 52 एवं खेसरा सं० – 3869 के एक ही समय विभिन्न फसल दिखाकर भुगतान हुआ है जबकि टावर सं० 385/2 से संबन्धित कोई भी कार्य उक्त भूमि पर नहीं हुआ है।

	खाता	खेसरा	फसल	भुगतान	
श्री ललन कुमार झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-	छायाप्रति संलग्न
श्री नितिन कुमार झा	52	3869	बैंगन एवं टमाटर	₹ 25,650/-	
श्री रतनेश्वर झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-	
श्री रंजन कुमार झा	52	3869	टमाटर	₹ 17,280/-	
श्री मनोरंजन कुमार झा	52	3869	हल्दी एवं मकई	₹ 20,160/-	

11. टावर संख्या – 385/2 एवं 385/3 के बीच स्ट्रिंगिंग के समय खाता संख्या 52 खेसरा संख्या 3869 में बांस एवं वृक्षों की क्षति दिखाई गई है जबकि उस खेसरा संख्या होकर न तो ट्रांसमीशन लाइन का तार ही गुजरा है और न ही कोई क्षति हुई है।

	खाता	खेसरा	फसल/ वृक्ष	प्रपत्र सं०
ललन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	007
सुधा रानी देवी (पति ललन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	011
रतन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	008
वीणा देवी (पति रतन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	013
मनोरंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	009
सरोज देवी (पति मनोरंजन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	012
रंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	010
केन्द्र कुमारी (पति रंजन कुमा. झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	014

छायाप्रति संलग्न

सूचना का अधिकार

पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

पावरग्रिड

के.आ/.के.आ/.सू.अ/2017/310 दिनांक : 29 नवंबर, 2017

श्री कंचन कुमार,
ग्राम: अशोकनगर,
पोस्ट: नौलखी, भाया: मुरलीगंज,
जिला: पूर्णिया,
बिहार - 852 122

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना**

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 16.10.2017 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी । आपके द्वारा मांगी गई जानकारी इस प्रकार है :

1 हां जांच के लिए समय सीमा निर्धारित होती हैं ।
2 हां मुख्य सतर्कता अधिकारी स्वतंत्र है ।
3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेशानुसार 90 दिन की समय सीमा निर्धारित हैं ।
4 इस समय जांच सम्बंधित कार्यवाही की जा रही हैं ।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामनी, प्लाट नं. 2, सैक्टर – 29 , गुड़गांव – 122001, हरियाणा
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद ।

भवदीय,

(अजय होलानी)
अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Email ID: **cpio.cc@powergrid.co.in**